# **Performa of Appointment letter of A.E. (Trainee) E&M/ Civil**

**Appointment Letter already issued on 5th May 2012. If not yet received, the necessary documents are required to be produced by the candidate at the time of reporting, on or before 14 June 2012, at Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow.**

# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

**POWER CORPORATION LIMITED**

Gvt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

संख्याः 1031 –अ0प्र0–07/पा0का0लि0/2012–26–अ0प्र0–07/08 दिनांकः 05 मई, 2012

पंजीकृत

अभ्यर्थी का नाम
एवं पता

**विषय :–उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड में सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) (ई0 एण्ड एम0) संवर्ग में नियुक्ति।**

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश है कि लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड में सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) (ई0 एण्ड एम0) पद पर नियुक्ति हेतु आपका चयन संलग्न सेवा शर्तो के अधीन किया गया है।

2. आपका सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) के रूप में प्रशिक्षण निदेशक विद्युत प्रशिक्षण संस्थान उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आरम्भ होगा जिसकी सूचना संस्थान द्वारा आपको अलग से दी जायेगी।

3. कार्य ग्रहण करने के समय आपको पहचान प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र सहित निम्न लिखित प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र एवं बन्ध पत्र (यथाविधि निष्पादित) प्रस्तुत करने है :–

**(1) प्रमाणपत्र**

(अ) अन्तिम विद्यालय अथवा विश्वविद्यालय, जहां आपने शिक्षा ग्रहण की हो, के प्राचार्य अथवा अधिष्ठाता से प्राप्त अच्छे चाल–चलन एवं चरित्र का प्रमाण पत्र।

(ब) दो उत्तरदायी व्यक्तियों (राजपत्रित अधिकारी, जो सम्बन्धी न हों) से प्राप्त ''चरित्र प्रमाण पत्र'', जो आपसे भली–भांति परिचित हों एवं आपके विश्वविद्यालय, विद्यालय अथवा स्कूल से सम्बन्धित न हो।

(स) आपकी शैक्षिक योग्यताओं के सत्यापन हेतु प्रमाण पत्रों की मूल एवं प्रमाणित प्रतिलिपियों का प्रस्तुतीकरण।

(द) वर्तमान सेवायोजक से प्राप्त ''कार्यमुक्ति पत्र'', यदि आप शासकीय/अर्धशासकीय विभाग अथवा सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हैं अथवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। कार्यमुक्ति पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को किसी भी दशा में कार्य ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(ध) किसी जनपद के सम्बन्धित मंडलीय चिकित्सा परिषद से प्राप्त ''स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण पत्र''।

(न) सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रदत्त ''जाति प्रमाण पत्र'' (आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये) (परिशिष्ट–ज)।

## (2) घोषणा पत्र

(अ) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने के सम्बन्ध में।

(ब) पावर कारपोरेशन लि0, में कार्यरत किसी व्यक्ति का आपके सम्बन्धी होने अथवा अन्यथा के सम्बन्ध में।

(स) आपके ऋणमुक्त होने के सम्बन्ध में।

(द) समस्त चल/अचल सम्पत्ति, आप द्वारा अथवा आप पर निर्भर आपके परिवार के सदस्य द्वारा स्वामित्व अथवा अधिग्रहीत सम्पत्ति को सम्मिलित करते हुये। इस प्रकार की सम्पत्ति का पूर्ण एवं सही विवरण परिशिष्ट 'क' में निर्धारित प्रपत्र पर दिया जाय।

(य) पावर कारपोरेशन लि0 के प्रति निष्ठा एवं विश्वसनीय सेवा से सम्बन्धित घोषणा पत्र परिशिष्ट 'ख' में निर्धारित प्रपत्र पर।

(र) राजनीतिक दलों से सम्बद्धता/सम्बन्धता संबंधी घोषणा पत्र परिशिष्ट 'ग' में निर्धारित प्रपत्र पर।

(ल) शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान अथवा उपक्रम में कार्यरत न होने अथवा कार्यरत होने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र परिशिष्ट 'घ' में निर्धारित प्रपत्र पर।

(व) चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रपत्र (चार प्रतियो में) परिशिष्ट 'झ' में निर्धारित प्रपत्र पर।

## (3) बन्ध पत्र

बन्ध पत्र का निष्पादन किसी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के सम्मुख किया जाना चाहिए। सेवा अनुबन्ध पत्र आपके द्वारा एवं नियुक्ति पत्र के साथ संलग्न सेवा शर्तो में मद सं0–4 में वर्णित व्यक्ति (प्रतिभू) द्वारा संयुक्त रूप से प्रत्येक पन्ने पर किये गये हस्ताक्षर मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायालय की मोहर सहित सत्यापित किये जाने चाहिए। निष्पादित सेवा अनुबन्ध पत्र के अभाव में आपको कार्य ग्रहण करने की अनुमति नही दी जायेगी। संलग्न सेवा शर्तो के मद सं0–4 के अनुसार हैसियत प्रमाण पत्र संलग्न न होने की दशा में बन्ध पत्र स्वीकार नही किया जायेगा। बन्ध पत्र के निष्पादन हेतु निर्धारित प्रपत्र निर्देशों सहित परिशिष्ट 'च' के रूप संलग्न है। बन्ध पत्र नान ट्रान्सफरेबिल होगा व किसी अन्य संस्था/विभाग में दिये गये बन्ध पत्र के आधार पर उपरोक्त बन्ध पत्र की शर्तो में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

4. यदि नियुक्ति सम्बन्धी संलग्न सेवा शर्ते आपको स्वीकार्य है तो आप संयुक्त सचिव (अ0प्र0–02) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के समक्ष उल्लिखित दिनांक **14.06.2012** तक समस्त प्रमाण पत्रों, घोषणा पत्रों एवं बन्ध पत्र इत्यादि सहित कक्ष सं0 613, शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ में उक्त प्रपत्रों के सत्यापन हेतु उपस्थिति हों। वांछित प्रमाण पत्रों एवं घोषणा पत्रों एवं बन्ध पत्र में किसी के भी न होने अथवा अपूर्ण होने पर आपको कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नही दी जायेगी।
5. यदि आप उपरोक्त तिथि तक वांछित अभिलेखों के साथ सत्यापन कराने हेतु उपस्थित नही होते है तो यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वतः निरस्त हो जायेगा।
6. कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देश तत्समय अलग से निर्गत किए जाएंगे।
7. सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) के रूप में आपकी नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है एवं किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

8. आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये यह अस्थायी नियुक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के प्रमाण पत्र के उचित माध्यम से सत्यापन किये जाने की शर्त पर की जाती है।
9. यदि भविष्य में सत्यापन किये जाने पर किसी स्तर पर कोई अभिलेख/प्रमाणपत्र असत्य पाया जाता है तो आपकी सेवाये बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और झूठे प्रमाण पत्र दिये जाने के लिए आपके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धो के अर्न्तगत आगे की कार्यवाही बिना किसी पूर्वाग्रह के की जायेगी।

**संलग्नकः यथोपरि।**

भवदीय,

(बी0पी0एस0राठौर)
उप सचिव

**संख्याः (1)–अ0प्र0–07/पा0का0लि0/2012, तद्दिनांक :**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि वे सहायक अभियन्ता अभियन्ता (प्रशिक्षु) के रूप में कार्य ग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों हेतु प्रशिक्षण का कार्यक्रम निर्धारित कर कारपोरेशन मुख्यालय के सूचनाधीन समस्त वितरण निगमों को सूचित करें।
2. मुख्य लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. व्यक्तिगत पत्रावली।

आज्ञा से,

(बी0पी0एस0राठौर)
उप सचिव

## उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) पद पर नियुक्ति की सेवा शर्ते

1 **प्रशिक्षण**

आपकी प्रशिक्षण अवधि 12 माह की होगी। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर कारपोरेशन आपको सहायक अभियन्ता पद पर संवर्ग में नियुक्ति हेतु आपकी पद हेतु उपयुक्तता के प्रतिबन्ध के साथ विचार करेगा। प्रशिक्षण की सामान्य अवधि 12 माह की होगी। परन्तु कारपोरेशन को प्रशिक्षण अवधि कम करने अथवा बढ़ाने, जैसा कि उचित समझा जाय, का अधिकार होगा। यदि प्रशिक्षण कारपोरेशन की सन्तुष्टि के अनुरूप पूर्ण किया जाता है एवं आपकी सहायक अभियन्ता के रूप में नियुक्ति प्रशिक्षण की अवधि की तारतम्यता में की जाती है तो प्रशिक्षण अवधि की गणना सहायक अभियन्ता के वेतनमान मे वेतन वृद्धि हेतु की जायेगी।

प्रशिक्षण अवधि में आपका कार्यकलाप विभिन्न परीक्षाओं द्वारा मूल्यांकित किया जायेगा एवं यदि आप तीन निरन्तर परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण रहते हैं, तो आपकी सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) के रूप में नियुक्ति तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

आपका कार्यदक्षता असन्तोषजनक होने पर आपकी प्रशिक्षण अवधि बढाये जाने अथवा नियुक्ति समाप्त करने के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

2 **परिलब्धियां**

प्रशिक्षण अवधि में आपको वेतन बैंड–3 रूपया 15600–39100 में न्यूनतम वेतन रू0 15600/– तथा सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 5,400/-- अनुमन्य होगा। मूल वेतन के अतिरिक्त आपको महंगाई भत्ता एवं कारपोरेशन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत अन्य भत्ते भी देय होगें।

3 **कारपोरेशन में संविलीनीकरण**

प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त सहायक अभियन्ता पद पर नियमित संवर्ग में नियुक्ति हेतु आपकी उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए आपको निर्धारित अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। यदि आप उपरोक्त अन्तिम परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते है, तो आपका प्रशिक्षण अधिकतम 2 वर्षो की अवधि तक बढाया जा सकता है, जो कि आपके प्रशिक्षण के प्रथम दिवस से आकलित किया जायेगा एवं बढे हुए प्रशिक्षण की अवधि में आपको एक अवसर पुनः परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु प्रदान किया जायेगा । परन्तु यदि आप द्वितीय परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण हो जाते हैं अथवा किसी कारणवश द्वितीय परीक्षा में उपस्थित नहीं होते है तो आपकी नियुक्ति तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

4. <u>सेवा अनुबन्ध –पत्र</u>

इस नियुक्ति हेतु आप एंव आपके प्रतिभू (Surety) जो प्रचुर साधनों से युक्त हो (आपके पिता अथवा निकट संबंधी भी हो सकते हैं) को रू0 100/–मूल्य के नान–जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर प्रशिक्षण पूर्ण करने एवं प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त न्यूनतम तीन वर्षों तक कारपोरेशन की सेवा में रहने का सेवा अनुबन्ध–पत्र निष्पादित करना होगा। प्रशिक्षण अवधि में अथवा प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त 3 वर्षों की सेवा अवधि में कारपोरेशन की सेवा छोडने की दशा में आप एवं आपके प्रतिभू संयुक्त रूप से अथवा पृथक रूप से रू0 2,00,000/–(रूपये दो लाख मात्र) की धनराशि कारपोरेशन को अदा करेगें। आपके प्रतिभू के पक्ष में राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार के स्तर से कम न हों, से प्राप्त हैसियत प्रमाण भी आपको निष्पादित बन्ध पत्र के साथ कार्य ग्रहण करने के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

5. <u>कार्य ग्रहण करने संबन्धी अन्य सामान्य निर्देश</u>

1. प्रशिक्षण अवधि में एवं तत्पश्चात् सहायक अभियन्ता पद पर नियुक्ति होने पर कारपोरेशन द्वारा समय–समय पर इस चयन में चयनित अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित सेवा नियम, आदेश एवं विनियम आप पर लागू होगें।
2. सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) के रूप में कार्यग्रहण करने हेतु आपको कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा।
3. प्रशिक्षण से अनधिकृत रूप से अनुस्पस्थित रहने अथवा परीक्षा में असफल होने की दशा में आपकी प्रशिक्षण अवधि बढाई जा सकती है जिसके फलस्वरूप सहायक अभियन्ता के संवर्ग में आपके बैच में आपकी ज्येष्ठता का ह्रास होगा।
4. आप राज्य में कहीं भी, जैसा कि सक्षम अधिकारी द्वारा समय–समय पर उपयुक्त समझा जाय एवं तय किया जाय, तैनात/स्थानान्तरित किये जा सकते हैं।
5. आपकी नियुक्ति आपके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के सन्तोषजनक पाये जाने के प्रतिबन्ध के अधीन की गई है। आपके चरित्र एवं पूर्ववृत्त असन्तोषजनक पाये जाने की दशा में आपकी नियुक्ति प्रशिक्षण की अवधि अथवा उसके पश्चात किसी भी समय बिना कारण बताये हुए अथवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

# चल/अचल सम्पत्ति सम्बन्धी घोषणा पत्र

## (क) उनके लिए जिनके पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है।

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मेरे पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है। यदि मैं एतद् पश्चात् कोई अचल सम्पत्ति धारण करता/करती हूं तो अपनी तत्सम्बन्धित अवधि की पंचवर्षीय घोषणा में घोषणा करूंगा/करूंगी।

हस्ताक्षर

नाम..........................................

पद..........................................

दिनांक..........................................

## (ख) उनके लिए जिनके पास अचल सम्पत्ति है।

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मैं निम्न प्रकार की अचल सम्पत्ति का स्वामी/ की स्वामिनी हूं।

### भूमि सम्पदा

| सम्पत्ति जहां है | | | क्षेत्र एकड़ में | अर्जित या पैतृक यदि अर्जित की गई है तो उसके अर्जन का दिनांक | वार्षिक राजस्व | अनुमानित मूल्य | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जनपद | तहसील | ग्राम | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

### गृह सम्पदा

| गृह जहां स्थित है | | | गृह संख्या | अर्जित या पैतृक यदि अर्जित किया गया है तो उनके अर्जन का दिनांक | क्या स्वयं रहने के लिये प्रयोग कर रहे हैं या किराये पर दिया है ? | वार्षिक किराया | अनुमानित मूल्य | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रम सं० | ग्राम नगर उप नगर | जनपद | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |

यदि मैं भविष्य में कोई अन्य अचल सम्पत्ति अर्जित करता/करती हूं तो इस तथ्य को उपर्युक्त प्रपत्र में सम्पत्ति अर्जित करने के दिनांक को जानकारी पाने के दिनांक से एक मास के भीतर घोषित कर दूंगा/दूंगी ।

हस्ताक्षर

नाम.............................................

पद.............................................

दिनांक.............................................

टिप्पणी:–अचल सम्पत्ति में ऐसा भवन व भूमि सम्पदा जो बंधक व पट्टे के रूप में अधिकारी/कर्मचारी या उसकी पत्नी/उसके पति या उसकी ओर से उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य जो उसके साथ संयुक्त हो या साथ रहता हो या किसी प्रकार उस पर आश्रित हो, द्वारा धारित या प्रतिबन्धित हो तो इस घोषणा के प्रयोजनार्थ अधिकारी द्वारा ही धारित या प्रबन्धित की गई समझी जायेगी ।

## (ग) उनके लिए जिनके पास कोई हिस्से (Shares) या जमा पूंजी (Investment) नहीं है ।

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं किसी हिस्से (Shares) या जमा पूंजी (Investment) का स्वामी/की स्वामिनी नहीं हूँ । यदि एतद्पश्चात में कोई हिस्से अर्जित करूंगा/करूंगी या जमा पूंजी लगाऊँगा/लगाऊंगी तो मैं इस तथ्य की घोषणा सम्बन्धित अवधि की पंचवर्षीय घोषणा में कर दूंगा/दूंगी ।

हस्ताक्षर

नाम.............................................

पद.............................................

दिनांक.............................................

## (घ) उनके लिए जो हिस्से (Shares) के स्वामी/स्वामिनी हैं या जिनकी अन्य जमा पूंजी (Investment) है ।

मैं एतद्द्वारा घोषित करता/करती हूं कि मैं निम्नलिखित हिस्से व जमा पूंजी रखता/रखती हूँ :–

### हिस्से (Shares)

| क्रम स० | विवरण | अर्जित करने का दिनांक | प्रत्येक हिस्से का मूल्य | धारित हिस्सों की संख्या | हिस्सों का क्रय मूल्य | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

# जमा पूंजी (Investment)

| क्रम सं० | विवरण | पूंजी लगाने की तिथि | मूल्य | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

यदि मैं आगे और हिस्से अर्जित करूंगा/करूंगी या अन्य कहीं पूंजी लगाऊंगा/लगाऊंगी तो मैं इस तथ्य की घोषणा सम्बन्धित पंचवर्षीय घोषणा में कर दूंगा/दूंगी।

हस्ताक्षर

नाम.............................................

पद.............................................

दिनांक.............................................

## चल सम्पत्ति

### (च) केवल उनके लिए जिनके पास कोई चल सम्पत्ति नहीं है ।

मैं एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मेरे पास कोई चल सम्पत्ति नहीं है। यदि मैं एतद पश्चात कोई चल सम्पत्ति धारण करता/करती हूं तो अपनी तत्सम्बन्धित अवधि की पचवर्षीय घोषणा में घोषणा करूंगा/करूंगी ।

हस्ताक्षर

नाम..................................................

पद..................................................

दिनांक..................................................

### (छ) उनके लिए जिनके पास चल सम्पत्ति है ।

मैं एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मैं निम्न प्रकार की चल सम्पत्ति का स्वामी/की स्वामिनी हूँ ।

| क्रम सं० | सम्पत्ति का विवरण | क्रय धारण करने की तिथि | मूल्य | क्या क्रय/ धारण करने हेतु पूर्व अनुज्ञा प्राप्त की गई थी ? यदि हां तो उस अनुज्ञा की संख्या तथा दिनांक | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

चल सम्पत्ति का तात्पर्य ऐसी प्रत्येक चल सम्पत्ति से है जिसका मूल्य रु० 1000/— अथवा कर्मचारी के एक माह का वेतन, जो भी कम हो, से अधिक है ।

हस्ताक्षर

नाम..................................................

पद..................................................

दिनांक..................................................

परिशिष्ट "ख"

## निष्ठा की शपथ

मैं एतद्द्वारा निष्ठापूर्वक घोषित करता हूं/करती हूं कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अधीन अपनी सेवा अवधि में मैं कारपोरेशन की सेवा में अपने को सदैव निष्ठा व श्रद्धापूर्वक लगाये रक्खूंगा तथा उसके कार्य-कलापों की पूर्ण रूप से गोपनीयता बनाये रखूंगा/रखूंगी और अपने कर्तव्य पालन के दौरान या अन्य रूप में जानकारी में आयी किसी भी सूचना को प्रकट नहीं करूंगा/करूंगी ।

हस्ताक्षर . . . . . . . . . . . . . .

पद . . . . . . . . . . . . . .

दिनांक . . . . . . . . . . . . . .

---

परिशिष्ट "ग"

## घोषणा

मैं . . . . . . . . . . . . . . . . . पुत्र श्री . . . . . . . . . . . . .

निवासी (पूरा पता) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि :-

(क) मैं न तो किसी ऐसे राजनीतिक दल/संस्था का सदस्य हूं जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्धित हो,

(ख) और ना ही किसी ऐसे राजनीतिक दल अथवा संस्था से सहानुभूति अथवा संबंध रखता हूं जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्धित हो,

(ग) और ना ही भविष्य में उनसे कोई संबंध/मेल जोल/अथवा सहानुभूति रक्खूंगा ।

हस्ताक्षर . . . . . . . . . .

पद . . . . . . . . . .

दिनांक . . . . . . . . . .

परिशिष्ट "घ"

(अभ्यर्थी द्वारा किसी भी शासकीय/अर्ध शासकीय संस्था/उपक्रम में कार्यरत न होने की दशा में)

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूं/करती हूं कि मैं किसी भी शासकीय/अर्ध शासकीय संस्था/उपक्रम में किसी भी रूप में कार्यरत नहीं हूं। इस सूचना के मिथ्या पाये जाने पर मेरी सेवायें तत्काल समाप्त की जा सकती हैं।

हस्ताक्षर ....................
नाम ....................
पद ....................
दिनांक ....................

(अभ्यर्थी के किसी शासकीय/अर्ध शासकीय संस्था/उपक्रम में कार्यरत होने की दशा में)

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि मैं .................... के विभाग में सेवारत था। मैं अपने पूर्व नियोजक द्वारा उ.प्र. पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अधीन सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) इलेक्ट्रानिक्स/इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल/कम्प्यूटर के रूप में सेवा आरम्भ करने हेतु कार्य मुक्त कर दिया गया हूं। कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र एतद्द्वारा संलग्न है।

हस्ताक्षर ....................
नाम ....................
पद ....................
दिनांक ....................

## बन्ध प्रत्र निस्पादन किये जाने हेतु निर्देश

**प्रतिभूति बन्धः–**

1. बन्ध पत्र रू0 100/–के स्टाम्प पेपर पर टंकित किया जाना चाहिए। यदि रू0 100/– के स्टाम्प पेपर 1 पन्ने (शीट) में उपलब्ध न हो तो, ऐसी दशा में 2 या 3(शीट्स) जो कम मूल्य के हो परन्तु उनके मूल्य का कुल योग रू0 100/– हो प्रयोग में लाये जा सकते है।
2. अभियन्ता और प्रतिभू दोनों को कोरे पन्ने (शीट्स) सहित, यदि कोई हो, बन्ध पत्र के प्रत्येक पृष्ठ (पेज) पर हस्ताक्षर करना चाहिए।
3. बन्ध पत्र पर किसी प्रकार की कांट–छांट, परिवर्तन अथवा पुर्नलेखन इत्यादि होने पर प्रत्येंक ऐसे स्थान पर अभियन्ता एवं प्रतिभू को संक्षिप्त हस्ताक्षर करने चाहिए।
4. प्रतिभू एवं साक्षियों का पूरा नाम,पता व पद नाम का उल्लेख उनके हस्ताक्षरों के नीचे करना चाहिए।
5. वह दिनांक जब बन्ध पत्र मजिस्ट्रेट के सम्मुख मूलतः निष्पादित किया गया था, नहीं बदला जाना चाहिए। निष्पादन के पश्चात् बन्ध पत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो दूसरे बन्ध पत्र का निष्पादन आवश्यक होगा और इस पर आने वाला व्यय अभियन्ता को स्वयं वहन करना होगा।
6. बन्ध पत्र का निष्पादन किसी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के सम्मुख किया जाना चाहिए तथा अभियन्ता एवं प्रतिभू द्वारा प्रत्येक पन्ने पर किये गये हस्ताक्षर मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायालय की मोहर सहित सत्यापित किये जाने चाहिए।
7. अभियन्ता और प्रतिभू द्वारा हस्ताक्षर करने की तिथि तथा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित करने की तिथि एक ही होनी चाहिए।
8. प्रतिभू उ0प्र0 का निवासी होना चाहिए तथा उसे कम से कम रू0 2,00,000/–(रू0 दो लाख) के ऋण चुकाने में समर्थ होना चाहिए तथा इसके प्रमाण हेतु बन्ध पत्र के साथ किसी राजस्व अधिकारी से प्राप्त "ऋण शोधन क्षमता प्रमाण–पत्र" जो तहसीलदार के स्तर के अधिकारी से निम्न का न हो, संलग्न किया जाना चाहिए।

# उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिये जाति प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.................................................................................................सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री..............................................................निवासी/ग्राम........................................................तहसील..............................................नगर........................जिला..........................................उत्तर प्रदेश राज्य की......................................................... जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ)/संविधान(अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.................................................................................तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के......................................................ग्राम..................................तहसील........................नगर.....................................................जिला.........................................में सामान्यतया रहता है।

स्थान :

दिनाँक :

मुहर :

हस्ताक्षर...................................................

पूरा नाम...................................................

पदनाम...................................................

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मैजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/ अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो, जिला समाज कल्याण अधिकारी।

# उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..........................................................सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री...........................................................निवासी/ग्राम........................................तहसील. ........................................नगर...............................................जिला.......................................... उत्तर प्रदेश राज्य की.................................................................पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (अधिनियम–1994) की अनुसूची–1 के अर्न्तगत मान्यता प्राप्त हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.......................................................................................उक्त अधिनियम–1994 को अनुसूची–2 से अच्छांदित नहीं हैं।

श्री/श्रीमती/कुमारी......................................................................तथा अथवा परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम.....................................................तहसील..........................................जिला.......................में सामान्यता रहता है।

स्थान :

दिनाँक :

मुहर :

हस्ताक्षर...................................................

पूरा नाम...................................................

पदनाम...................................................

(जिलाधिकारी/अतिरक्त जिलाधिकारी/सिटी मैजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार)

परिशिष्ट - 'झ'

# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14, अशोक मार्ग, लखनऊ

## साक्ष्यांकन प्रपत्र

फोटो

### चेतावनी

(1) इस प्रपत्र में कोई गलत सूचना देना या किसी वास्तविक सूचना को दबाना किसी भी अभ्यर्थी को अनर्ह व उसे सेवायोजन दिये जाने के लिए अयोग्य कर सकता है ।

(2) इस प्रपत्र को भरकर देने के उपरान्त यदि अभ्यर्थी कभी हवालात मे रखा गया हो, सजा दी गई हो या विर्वजित किया गया हो तो उसका विवरण उसे तुरन्त देना चाहिए और इसका उल्लेख न करने की दशा में, इसे वास्तविक सूचना को छिपाना माना जायेगा।

1. पूरा नाम, उपनाम यदि कोई हो ..................................................

2. पिता का पूरा नाम, उपनाम यदि कोई हो, सेवा व पद नाम भी दें यदि कोई हो
..................................................
..................................................

3. पिता की राष्ट्रीयता ..................................................
माता की राष्ट्रीयता ..................................................
पत्नी की राष्ट्रीयता ..................................................
पति की राष्ट्रीयता ..................................................

4. जन्म स्थान (स्वंय का)..................................................
पति/पत्नी का (यदि विवाहित हो)..................................................

5. (अ) जनपद का नाम, जहाँ का रहने वाला/वाली हो ..................................................
(ब) घर का पूरा पता (ग्राम, थाना, जनपद/मार्ग, गली व भवन संख्या भी दें)
..................................................
..................................................

यदि मूल रूप में पाकिस्तान का निवासी हो ता उस देश के उसके सभी पते व भारत में आब्रजन की उसकी तिथि भी वर्णित की जानी चाहिए।
..................................................

6. वर्तमान का पूरा पता ..................................................
..................................................

7. पिछले पाँच वर्षों में पते:-

| कम संख्या | दिनॉक से | दिनॉक तक | पता |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

8. आयु व जन्म तिथि यदि अभ्यर्थी हाईस्कूल पास है तो प्रमाण पत्र अनुसार उसका उल्लेख करे :-
..................................................

9. शैक्षिक अर्हतायें अभ्यर्थी ने 15 वर्ष की आयु से जिन स्कूल या कालेजों में शिक्षा पाई हो उनका उल्लेख उत्तीर्ण होने के वर्ष सहित करें।

| स्कूल/कालेज का नाम व पूरा पता | प्रवेश की तिथि | छोड़ने की तिथि | परीक्षा जो उत्तीर्ण की है |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

10. उस कार्यालय या फर्म का पूरा पता विवरण व पता जहाँ अभ्यर्थी पहले कार्य कर चुका हो या कार्य कर रहा हो :-

| पद का नाम व कार्य का विवरण | अवधि | | कार्यालय फर्म या संख्या का पूरा पता | पिछली सेवा का छोड़ने का कारण |
|---|---|---|---|---|
| | दिनांक से | दिनांक तक | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

11. मोहल्ले के दो उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम व पते जिन्हें अभ्यर्थी के बारे में जानकारी हो :-

(1)

(2)

12. (क) क्या आपको कभी गिरफ्तार, सजा, हवालात,परिवाधित, अर्थदण्ड दिया गया है या किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए दण्डित किया गया है या किसी लोक सेवा आयोग द्वारा किसी परीक्षा/चयन में भाग लेने से विर्वजित/ अनर्ह किया गया है या किसी शैक्षिक अधिकारी/संस्था द्वारा किसी परीक्षा में बैठने से विवर्जित या रेस्टीकेट किया है

(ख) क्या इस साक्ष्यांकन प्रपत्र को भरते समय आपके विरूद्ध किसी न्यायालय, विश्वविद्यालय या किसी शैक्षिक प्रधिकारी/संस्था के अधीन कोई मामला विचाराधीन है।

टिप्पणी : (1) यदि उपरोक्त (क) या (ख) का उत्तर हाँ है तो इस प्रपत्र को भरते समय ऐसे मामले को पूरा विवरण गिरफ्तारी हवालात, अर्थदण्ड, सजा इत्यादि व किसी भी न्यायालय/विश्वविद्यालय/शैक्षिक प्राधिकारी के अधीन लम्बित मामले इत्यादि का पूरा विवरण दें ।

(2) इस प्रपत्र के आरम्भ में दी गई चेतावनी को भी देखें ।

## अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाने वाला प्रमाण पत्र

मैं प्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त सभी सूचनायें मेरी पूरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है। मुझे ऐसी किन्हीं भी परिस्थितियों का ज्ञान नहीं है जो कारपोरेशन के अधीन मेरे सेवायोजन में बाधक सिद्ध हो सकती है।

दिनॉक : 

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

स्थान :